न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन), बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 14/2018

अनवान :–

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

1. शिवशंकर पारीक पुत्र जयगणेश पारीक जस्सुसरगेट के बाहर, पीएनबी बैंक गली के पास, जरिराम मन्दिर के पीछे, बीकानेर मैसर्स पूजा शुद्ध घी भण्डार, स्टेशन रोड़ बीकानेर(खाद्य कारोबारकर्ता)
2. ऋषि राज जोशी, (खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर) फर्म– धनलक्ष्मी ट्रेंटिंग कम्पनी, प्लॉट नं. 2 इण्डस्ट्रीयल एरिया, रानी बजार बीकानेर
3. शैतानसिंह राजपुरोहित (खाद्य कारोबारकर्ता एवं नोमिनी निर्माता फर्म) फर्म– 123, न्यू चन्द्र नगर फल सब्जी मण्डी, अजमेर।
4. (निर्माता फर्म) राजपुरोहित डेयरी एच–97 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, गेनाल अजमेर जरिये शैतानसिंह राजपुरोहित, 123 न्यू चन्द्र नगर फल सब्जी मण्डी, अजमेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1- प्रार्थीपक्ष की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि
2- अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से – श्री विजय शंकर व्यास अधिवक्ता
3- अप्रार्थी संख्या 1 व 2 – अनुपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक :– 16.10.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 22.12.2017 को अप्रार्थीपक्ष शिवशंकर पारीक पुत्र जयगणेश पारीक निवासी जस्सुसर गेट बीकानेर(खाद्य कारोबारकर्ता)– मैसर्स पूजा शुद्ध घी भण्डार, स्टेशन रोड़ बीकानेर के यहां दुकान का निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ घी(कृष्णम ब्राण्ड) आम जनता को बेचता है। तदन्तर मिलावट का शक होने पर खाद्य पदार्थ घी(कृष्णम ब्राण्ड) 18 पैक्ड पैकेटX500 एम.एल. में से 4X500 सामान पैक्ड पैकेट खाद्य पदार्थ घी(कृष्णम ब्राण्ड) खरीदा जिसकी कीमत 800/– रू. अदा की एवं खरीद रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी, गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर है। तदन्त्र विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये जिस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कोड एवं क्रमांक जे–1445 लिखा व अन्य विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं प्रार्थी ने किये तथा उक्त चारों नमूना बोतलों पर एक–एक लेबल गौंद से चिपकाया, तत्पश्चात नमूना बोतलों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप जे–1445 को नियमानुसार सील चपड़ी कर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर, समझाकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। उक्त सील्ड नमूनों में से एक भाग सील बन्द लिफाफा मुख्य जन

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई । जिनके यहां से दिनांक 10.01.2018 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें खाद्य पदार्थ घी(कृष्णम ब्राण्ड) मिसब्राण्ड पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ घी(कृष्णम ब्राण्ड) मिसब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नहीं आये। लिहाजा इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से श्री विजय शंकर व्यास एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब प्रस्तुत किया तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे बहस में निवेदन किया कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से खाद्य पदार्थ घी(कृष्णम ब्राण्ड) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of "Ghee(Kirshnam)" bearing Code No. and Sr. No. J-1445 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i)of food safety and standards Act. 2006 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थीगणों ने खाद्य पदार्थ घी(कृष्णम ब्राण्ड) मिसब्राण्ड (Cpntravene Regulation 2.2.2.(10) of FSS(Packaging and Labelling) Regulation 2011 का उल्लघंन है। खाद्य पदार्थ घी(कृष्णम ब्राण्ड) पैक्ड पैकेट का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ग) का उल्लघंन किया है। प्रार्थी निरीक्षक का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थीगणों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया कि प्रार्थी का न्याय निर्णयन आवेदन खा.सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं खा. सुरक्षा और मानक नियम 2011 तथा संशोधित नियम 2014 के प्रावधानों के तहत चलने योग्य नहीं है। उक्त अधिनियम, नियम में वर्णित प्रक्रिया का पूर्णतया पालना नहीं की गई है अप्रार्थी द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ (घी) मिलावटी नहीं पाया गया है ना ही मिसब्राण्ड पाया गया अप्रार्थी के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति गलत प्रक्रिया अपनाई जाकर अप्राधिकृत तौर पर जारी की गयी है। अप्रार्थी द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ को प्रार्थी द्वारा युक्तियुक्त आधार के अपने जाप्ते में लिया गया जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत उल्लंघन है। अप्रार्थी को समय पर सूचित भी नहीं किया गया और ना ही उसके खाद्य पदार्थ की विश्लेषक रिपोर्ट अप्रार्थी को दी गयी है। प्रार्थी की ओर से नमूना लेने की कोई सूचना नहीं दी गयी ना ही नमूना के विश्लेषण कराये जाने का कोई लिखित में नोटिस दिया गया सारी कार्यवाही नियमों एवं प्रावधानों के विरूद्ध की गयी है। अप्रार्थी को प्रयोगशाला के निष्कर्ष के विरूद्ध अपील करने का जो अधिकार प्राप्त है वह भी नोटिस के अभाव में समाप्त हो गया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं खाद्य अधिकारी, सिरोही में कार्यरत है। जिनको बीकानेर के स्थानीय क्षेत्र में आवेदन पेश किय जाने का

अति. जिला कलक्टर

अधिकार नहीं था ना ही प्रार्थी नमूना लेते वक्त बीकानेर क्षेत्र के लिए प्राधिकृत ही नहीं थे। अप्रार्थी संख्या 4 फर्म जो कि खाद्य पदार्थ घी की निर्माता फर्म है। फर्म के विरूद्ध कार्यवाही उसके भागीदारों अथवा मालिक के विरूद्ध ही की जा सकती है। फर्म के द्वारा नोमिनी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती है। प्रार्थी का यह न्याय निर्णयन का आवेदन पत्र मिसब्राण्ड से संबंधित है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य निर्माण में कोई मिलावट नहीं की है ना ही उसका पदार्थ मिलावटी पाया गया ना ही मानव स्वास्थ्य एवं जीवन को खतरा पैदा करने वाला है। इसलिए अप्रार्थी त्वरित निस्तारण करने के लिए उसके साथ नरमी के रूख का अख्तियार किये जाने की अपील करता है। अधिवक्ता ने अन्त में यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में दिनांक 9.8.18 को न्याय निर्णयन आवेदन श्रीमान् न्यायालय के समक्ष किया गया था जो कि श्रीमान् द्वारा वापिस लौटा दिया गया था क्योंकि प्रकरण बीकानेर जोन में प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश नहीं किया गया था तत्पश्चात् प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध पुनः अभियोजन स्वीकृति ली जाकर ही आवेदन करना था जो कि नहीं किया गया है। इसलिए अप्रार्थी के विरूद्ध आवेदन चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

5. इसके खण्डन में स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि प्रार्थी निरीक्षक ने निरीक्षण कार्य 22.12.2017 को 5.30 पीएम अप्रार्थी स्थल पर किया गया था जहां वरवक्त निरीक्षण 500 एमएल के करीब 18 पैक्ड पैकेट खाद्य पदार्थ घी(कृष्णम् ब्राण्ड) आमजन के विक्रय हेतु रखा गया था। इस खाद्य पदार्थ घी(कृष्णम् ब्राण्ड) का नमूना लेने हेतु अप्रार्थी पक्ष के सामने प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पूर्ण पालना की गई अर्थात नमूना गवाह की उपस्थिति में लिया गया। उक्त नमूना पैकेट जो प्रत्येक 500 एमएल खाद्य पदार्थ घी(कृष्णन् ब्राण्ड) के चार पैकेट लिया गया जिसकी कुल कीमत 800/– रूपये का भुगतान कर अप्रार्थी विक्रेता से बिल प्राप्त किया गया था। प्राप्त खाद्य पदार्थ घी(कृष्णम् ब्राण्ड) का नमूना चार भागों में विक्रेता व गवाह के सामने नियमानुसार पृथक–पृथक सील्ड मोहर किया जाकर गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये थे। निरीक्षण स्थल पर ही मुआयना रिपोर्ट तैयार की गई इसलिए अप्रार्थीपक्ष का यह कथन मान्य नहीं कि नमूना लिये जाने के संबंध में प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पालना नहीं की गई हो। विभागीय प्रतिनिधि का यह भी कथन है कि नमूना केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को नियमानुसार वास्ते जांच हेतु भिजवाया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः सीएफएल लेब पूने से जांच करवाने के संबंध अप्रार्थीपक्ष को नियमानुसार जरिये रजिस्टर्ड सूचित किया गया था। किन्तु अप्रार्थी द्वारा पुनः जांच हेतु कोई आवेदन नहीं किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर द्वारा अभियोजन स्वीकृति उपरान्त प्रकरण न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर के आदेश की अनुपालना में प्रार्थी निरीक्षक को उनके वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला बीकानेर का कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित हुआ था। निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा माननीय न्यायालय को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियम 42 के अन्तर्गत निहित प्रावधानों अनुसार कार्यवाही संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाने पर प्रार्थी खा.सु.अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया है। प्रार्थी निरीक्षक द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार कार्यवाही की जाकर खाद्य पदार्थ घी(कृष्णम ब्राण्ड) का सैम्पल लिया गया जो जांच रिपोर्ट में अप्रार्थी के यहां खाद्य पदार्थ

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

घी(कृष्णम् ब्राण्ड) मिसब्राण्ड स्तर की पाई गई है। इस प्रकार अप्रार्थीपक्ष के द्वारा एफएसएस एक्ट की धारा 26(2)ाा का जुर्म कारित किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टिया प्रमाणित होना पाया जाता है।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाई गई खाद्य पदार्थ घी(कृष्णम् ब्राण्ड) की सैम्पलिंग रिर्पोट में खाद्य पदार्थ घी(कृष्णम् ब्राण्ड) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) पाया गया है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक L.S./2877/Act/ 2017/85 दिनांक 18.01.2018 की रिर्पोट संलग्न है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में में The sample of " Ghee (Kirshnam) bearing Code No. and Sr. No. J-1445 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 it is Contravence Regulation 2.2.2.(10) of FSS (Packaging and Labelling)Regulation 2011. पाया गया है। जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां खाद्य पदार्थ घी(कृष्णम् ब्राण्ड) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ाा) का उल्लंघन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अनुसार जुर्माने से दण्डनीय है।

7. इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के द्वारा खाद्य पदार्थ घी(कृष्णम् ब्राण्ड) (मिथ्या छाप वाली) उत्पादन/वितरण/विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2) (ाा) का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ाा) के अपराध की श्रेणी में आता है जो शास्ति अधिरोपित का दायी है।

8. अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले खाद्य पदार्थ में खाद्य पदार्थ घी(कृष्णम् ब्राण्ड) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण, विक्रय एवं वितरण के लिये दोषी होने के परिणामस्परूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के दण्डात्मक प्रावधानों के तहत 30,000/– अखरे रूपये **तीस हजार** मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है।

9. उक्त शास्ति अप्रार्थीगण को अनुपातिक दायित्व/कर्त्तव्यों का आंकलन किया जाकर आनुपातिक रूप से निम्नानुसार शास्ति अधिरोपण का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

10. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ाा) का अपराध मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण करने वाले निर्माता के स्तर पर ही मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) खाद्य पदार्थ का विनिर्माण एवं पैकिंग किया जाता है। अतः आनुपातिक रूप से सर्वाधिक दायित्व एवं दोष विनिर्माता अप्रार्थी संख्या 3 ता 4 का ही परिलक्षित होता है । अतः आरोपित शास्ति राशि 30,000/– में से रूपये 20,000/– (अखरे बीस हजार रूपये) के लिए अप्रार्थी संख्या 3 ता 4 को समान रूप से भरने हेतु दायी होगे। अर्थात अप्रार्थी संख्या 3 व 4 प्रत्येक 10–10 हजार रूपये भरने हेतु दायी होगा।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

11. मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु वितरण एवं विक्रय हेतु प्राप्त की जाने वाली सामग्री में वितरकों एवं विक्रेताओं का भी यह दायित्व होता है कि वे किसी भी खाद्य पदार्थ का वितरण एवं विक्रय मानक सामग्री एवं सही ब्राण्ड की सामग्री की जांच पड़ताल उपरान्त ही करें परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 विक्रेता एवं वितरक द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली खाद्य सामग्री खाद्य पदार्थ घी(कृष्णम् ब्राण्ड) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का विक्रय/वितरण किया जिसके लिये वे भी समान रूप से धारा 26 (2) (ा) में दोषी है। अतः आनुपातिक रूप से आरोपित शास्ति में से अप्रार्थी संख्या 3 ता 4 विनिर्माता की शास्ति को घटाने के पश्चात शेष आरोपित शास्ति 10,000/– रूपये अप्रार्थी संख्या 1 विक्रेता एवं अप्रार्थी संख्या 2 वितरक समान रूप से भरने हेतु दायी होगे। अर्थात प्रत्येक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की शास्ति राशि 5–5 हजार रूपये भरने हेतु दायी होगा।

12. इस प्रकार आरोपित 30,000/– रूपये की शास्ति में से अप्रार्थी संख्या 1 (विक्रेता) 5,000/– रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 2 वितरक 5,000/– रूपये, अप्रार्थी संख्या 3 की शास्ति राशि रू 10,000/–, अप्रार्थी संख्या 4 की शास्ति राशि रू. 10,000/– हजार रूपये (विनिर्माता) शास्ति अदा करेगें।

13. इसके साथ–साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञाप्ति निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

14. निर्णय आज दिनांक **16.10.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरिये रजिस्टर्ड तथा अप्रार्थी संख्या 3 ता 4 के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा), बीकानेर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर